

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 632 / गोपनीय / 2021  
दो-3-5/2019 (2021)

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई, 2021

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री कोमल अंजना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जौरा जिला मुरैना का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती कोमल अंजना रिंह” पत्नी श्री अनुराग रिंह करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

  
\*(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 633 / गोपनीय / 2021  
दो-3-5/2019 (2021)

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेस हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०ए० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्रीमती कोमल अंजना रिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जौरा जिला मुरैना को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 277 / 2021, दिनांक 30-06-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 507 / लेखा अनु./ 2021, दिनांक 02.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. सीनियर प्रिसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस०ए०)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल वेकर/ क्रिमिनल वेकर/ डी०ए० (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोर्सिटंग इत्यादि संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायर्कलोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समरत रांबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
\*(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल